समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला गोपनीय शाखा)

मो0 सोहैल, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 25-07-2016 को विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ की गयी सोमवारीय (Monday Meeting) बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :- पंजी के अनुसार।

(2) अनुपस्थित पदाधिकारी

समीक्षा के क्रम में निम्नांकित पदाधिकारी बैठक से अनुपस्थित पाये गये :-

क्र0	संबंधित पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1.	भूमि विकास बैंक, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
2.	जिला आपूर्ति पदा0, मधेपुरा	अवकाश में।
3.	जिला कल्याण /अल्पसंख्यक कल्याण पदा0, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
4.	श्रम अधीक्षक, मधेपुरा	अवकाश में।
5.	जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
6.	परियोजना प्रबंधक, महिला हेल्पलाईन, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
7.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गम्हरिया	अवकाश में।
8.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुरैनी	अवकाश में।
9.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आलमनगर	अवकाश में।
10.	अंचलाधिकारी, चैलाढ़	अवकाश में।
11.	अंचलाधिकारी, बिहारीगंज	अवकाश में।

प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछा जाए।

(अनुपालन-प्रभारी पदा0, जिला गोपनीय शाखा)

➢ सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का बैठक में स्वागत किया गया। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि चुनाव समाप्त हो गया है, अब सिर्फ विकास की कार्य में प्रगति लाया जाना है। विगत दिनों में विधान सभा चुनाव, मैट्रिक /इंटर परीक्षा तथा पंचायत चुनाव होने के कारण सभी पदाधिकारी इन्हीं कार्य में संलिप्त थे, जिसके कारण विकास कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पायी है, फलस्वरूप अब विकास कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारियों को सोमवारीय बैठक में भाग लेने हेतु निदेशित किया गया है। साथ ही प्रत्येक आगामी सोमवारीय बैठक में अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज को भी भाग लेने हेतु संसूचित करने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा को दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सात निश्चय कार्यक्रम के तहत् सभी योजनाओं में अपेक्षित प्रगति लाया जाना है। विभिन्न सड़कों की स्थिति अत्यन्त ही खराब है, जिसे सुधारने की आवश्यकता है। साथ ही जन वितरण प्रणाली के डीलरों द्वारा अनाज निर्धारित वजन से कम तौल कर वितरण करने संबंधी शिकायत प्राप्त हो रही है, जिसे देखने की आवश्यकता है। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

(3) जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों के साथ अंतर विभागीय समन्वय बैठक हेतु निम्नांकित विभागों की समीक्षा विभागवार की गयी :-

क्र0	संबंधित विभाग /पदा0 का नाम	इस सप्ताह में किए जाने वाले कार्य
1.	ऑपरेशन दखल देहानी (सभी अंचलाधिकारी /प्रभारी पदा0, राजस्व)	जिलाधिकारी द्वारा ऑपरेशन दखल देहानी का अंचलवार समीक्षा किया गया, जो निम्नवत् पाया गया :- **उदाकिशुनगंज** :- समीक्षा के क्रम में बताया गया कि उनके यहां कुल-379 मामलें ऑपरेशन दखल देहानी के हैं, जिसमें 135 में दखल दिलाने की कार्रवाई की गयी है तथा 244 में से 104 संबंधित न्यायालय में लंबित है। बताया गया कि 56 लाभुकों को शुक्रवार तक दखल देहानी करा लिया जाएगा, अन्य शेष मामलों का निष्पादन एक माह के अंदर करने का आश्वासन अंचलाधिकारी, उदाकिशुनगंज द्वारा दिया गया। **मधेपुरा** :- अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कुल- 608 में से 174 का दखल देहानी हो चुका है, शेष 434 है, कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है, आगामी सोमवारीय बैठक से पहले 25 करने का आश्वासन दिया गया। **मुरलीगंज** :- बताया गया कि कुल- 480 में से 209 दखल देहानी हो गया है, जबकि 271 मामलें लंबित है, जिसमें 143 संबंधित न्यायालय में लंबित है। अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि आगामी सप्ताह में 85 कर लिया जाएगा। **आलमनगर** :- बताया गया कि कुल-306 मामलें में से 134 का दखल देहानी हो गया है, कुल-172 लंबित है, जिसमें 164 संबंधित न्यायालय में लंबित है। बाढ़ का समय प्रारंभ हो जाने के कारण समस्या उत्पन्न हो रही है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। **कुमारखंड** :- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल-957 में 724 का दखल देहानी हो गया है। 233 में 206 संबंधित न्यायालय में लंबित है। आगामी सप्ताह तक शत-प्रतिशत कर लेने का निदेश अंचलाधिकारी को दिया गया। **बिहारीगंज** :- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल-261 में 171 का दखल देहानी हो गया है तथा 90 लंबित है। निदेश दिया गया कि आगामी सप्ताह तक शत-प्रतिशत करना सुनिश्चित करें। **गम्हरिया** :- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल-112 में 73 का दखल देहानी हो गया है तथा 39 लंबित है। निदेश दिया गया कि आगामी सप्ताह तक शत-प्रतिशत करना सुनिश्चित करें। **ग्वालपाड़ा** :- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल-238 में 167 का दखल देहानी हो गया है तथा 71 लंबित है। निदेश दिया गया कि आगामी सप्ताह तक शत-प्रतिशत करना सुनिश्चित करें। **शंकरपुर** :- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल-1064 में 524 का दखल देहानी हो गया है तथा 540 लंबित है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब शत-प्रतिशत दखल देहानी करना सुनिश्चित करें। **घैलाढ़** :- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल-212 में 89 का दखल देहानी हो गया है तथा 123 लंबित है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब शत-प्रतिशत दखल देहानी करना सुनिश्चित करें।

		समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सिंहेश्वर, पुरैनी एवं चौसा में शत-प्रतिशत दखल देहानी कर लिया गया है। इसी प्रकार रिर्टन-। के बारे में सभी अंचलाधिकारियों द्वारा बताया गया कि रिर्टन-। की स्थिति शून्य है।
2.	अतिक्रमण (सभी अंचलाधिकारी /सभी कार्य0 दण्डा0)	जिलाधिकारी द्वारा अतिक्रमण वाद की अंचलवार समीक्षा की गयी, जो निम्नवत् पाया गया :- **चौसा** :- समीक्षा के क्रम में अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि अतिक्रमण हटाने हेतु नोटिस निर्गत करवा दिया गया है। एक जगह पानी है, इसलिए नापी नहीं कराया गया है, जबकि फुलौत का अतिक्रमण हटा दिया गया है। **उदाकिशुनगंज** :- अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि बाजार में जहां भी अतिक्रमण था, उसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। निदेश दिया गया कि आगामी सोमवारीय बैठक से पूर्व अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करें। **आलमनगर** :- अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि दो जगह नापी कराया गया है। बताया गया कि मेन बाजार में अतिक्रमण किया हुआ है। निदेश दिया गया कि तुरंत नापी करावें तथा नियमानुसार अतिक्रमण हटाते हुए आगामी सोमवारीय बैठक में प्रतिवेदित करें। **ग्वालपाड़ा** :- बताया गया कि 04 जगह अतिक्रमण हटाने की सूची प्राप्त हुई है, जिसमें 03 जगह नापी हो चुका है तथा 01 जगह नापी हो रहा है। **पुरैनी** :- 02 जगह नापी करा दिया गया है। अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विगत माह पूर्व ही अमीन सेवानिवृत हो गये है तथा वर्तमान में एक भी अमीन नहीं है, जिसके कारण नापी कराने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित अंचलाधिकारियों को निदेशित किया गया कि उनके अंचल में जो भी अमीन /राजस्व कर्मचारी सेवानिवृत हो रहो हों, जिला कार्यालय राजस्व शाखा, मधेपुरा को सेवानिवृत कर्मी को संविदा पर रखने हेतु प्रस्ताव एक माह पूर्व ही समर्पित करें, ताकि नियमानुसार चयन की कार्रवाई की जा सके। **गम्हरिया** :- अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि गुमटी के पास 8-10 जगह अतिक्रमण है, जिसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करें। **मुरलीगंज** :- बताया गया कि अतिक्रमण वाद के लगभग 367 मामलों संबंधी सूची उपलब्ध करा दी गयी है तथा नोटिस भी निर्गत किया गया है। कार्यपालक दण्डाधिकारी, मधेपुरा से सम्पर्क किया गया, उनके द्वारा बताया गया कि इतने सारे व्यक्तियों का एक साथ अतिक्रमण हटाने में कठिनाई हो सकती है। निदेश दिया गया कि कार्यपालक दण्डाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर अविलम्ब अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करें। समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री शहरी सम्पर्क सड़क के तहत मुरलीगंज में चामगढ़ के पास तथा मधेपुरा में साहुगढ़ के पास सड़क को अतिक्रमण कर लेने के कारण सड़क निर्माण में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। अंचलाधिकारी, मुरलीगंज द्वारा बताया गया कि बहुत सारे सरकारी जमीन को बी0टी0 एक्ट के तहत् निजी

		करा लिया गया है। **प्रभारी पदाधिकारी, बंदोवस्त, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि** जितने भी बी0टी0 एक्ट के तहत् जमीन का मामला है, उन सभी का जांच करने हेतु आदेश पत्र निर्गत करना सुनिश्चित करें। यह भी बताया गया कि मुरलीगंज में श्री श्याम नारायण यादव द्वारा सड़क निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। बताया जाता है कि सड़क में मेरी निजी जमीन है। जिलाधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी को तुरंत नापी कराने एवं अतिक्रमित सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का निदेश दिया गया। **सिंहेश्वर** :- अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि 18 जुलाई, 2016 को अतिक्रमण हटाया गया है। निदेश दिया गया कि शत-प्रतिशत अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करें। समीक्षा के क्रम में कुछ अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि उनके यहां अमीन सेवानिवृत हो गये है, जिसके कारण नापी कराने में कठिनाई उत्पन्न होती है। जिला स्थापना उप समाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि संविदा पर सेवानिवृत अमीन की नियुक्ति हेतु नियमानुसार प्रस्ताव संचिका के माध्यम से अविलम्ब उपस्थापित करें। **मधेपुरा** :- अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में कुछ जगह यथा- चांदनी चौक पर अतिक्रमण है, जिसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। **घैलाढ़** :- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पी0एच0एसी0 के आस-पास अतिक्रमण कर लिया गया है। अंचलाधिकारी, घैलाढ़ के मुख्यालय से बाहर रहने के कारण प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, घैलाढ़ को निदेशित किया गया कि इस संबंध में अविलम्ब कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसी प्रकार बताया गया कि सदर मधेपुरा में भी अस्पताल के आस-पास अतिक्रमण कर लिया गया है। अंचलाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि अविलम्ब अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करें।
3.	(भूमि हस्तांतरण) सभी अंचलाधिकारी	समीक्षा के क्रम में बताया गया कि मधेपुरा में पथराहा के पास गोविन्दपुर में एक रोड जाती है, जहां पर 100 फीट में अनुसूचित जाति के लोग बसे हुए हैं तथा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसकी नापी करा ली गयी है। जल्द ही खाली करा लिया जाएगा। इसी प्रकार रेलवे के पास खोपैती में रैयती जमीन पर रास्ता से संबंधित मामला लंबित है। जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि संबंधित मुखिया से सम्पर्क स्थापित कर आमसभा कराकर नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई अविलम्ब सुनिश्चित करें। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्र0, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि साहुगढ़ के कारू टोला में भू-अर्जन का एक मामला लंबित है, जबकि विभाग द्वारा राशि उपलब्ध करा दी गयी है, किन्तु संबंधित किसान राशि प्राप्त नहीं कर रहे हैं, जिस कारण सड़क निर्माण कार्य अवरूद्ध है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जितने भी भू-अर्जन का मामला लंबित है, उन सभी का सूची तैयार कर नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। सहायक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि डी0-टाईप क्वार्टर के उत्तर में स्वीकृत सी0-टाईप क्वार्टर के निर्माण कार्य को स्थानीय लोग द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है। अंचलाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि जांच-पड़ताल कर अविलम्ब अतिक्रमण हटाते हुए नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई

		सुनिश्चित करें।
4.	(पंचायत सरकार भवन) सभी प्र0वि0पदा0	प्रखण्डवार पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य की समीक्षा की गयी, स्थिति निम्नवत् पायी गयी :- **बिहारीगंज** :- प्र0वि0पदा0 द्वारा बताया गया कि 02 पंचायत सरकार भवन बन कर तैयार है। निदेश दिया गया कि संबंधित पंचायत के मुखिया के साथ उद्घाटन करा लें तथा मुखिया को उसी पंचायत भवन में अपना कार्यालय संचालन हेतु निदेशित करें। **घैलाढ़** :- समीक्षा के क्रम में निदेशित किया गया कि संबंधित पंचायत के मुखिया से सम्पर्क स्थापित कर उद्घाटन करा लें तथा मुखिया का कार्यालय उसी पंचायत सरकार भवन में हर-हाल निर्धारित करना सुनिश्चित करें। **सिंहेश्वर** :- बताया गया कि 02 पंचायत सरकार भवन बन कर तैयार है। निदेशित किया गया कि संबंधित पंचायत के मुखिया से सम्पर्क स्थापित कर उद्घाटन करा लें तथा मुखिया का कार्यालय उसी पंचायत सरकार भवन में हर-हाल में निर्धारित करना सुनिश्चित करें। **ग्वालपाड़ा** :- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि नया पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। बताया गया कि झंझरी में जमीन की समस्या रहने के कारण उक्त भवन का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि उक्त जमीन का नापी कर खुंटा आदि गाड़ा गया था, पुनः जमीन मालिक द्वारा दुबारा नापी के लिए अनुरोध किया जा रहा है, क्योंकि उक्त जमीन में नया पेड़ अधिक लगा हुआ है। जिलाधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी /प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभि0 संगठन प्र0, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि वनो के क्षेत्र पदाधिकारी, मधेपुरा से सम्पर्क स्थापित कर लेआउट इस हिसाब से किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ बचाया जाए एवं शीघ्र भवन निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाए। **मुरलीगंज** :- बताया गया कि 03 जगह पंचायत सरकार भवन बन कर तैयार है, किन्तु कार्यरत नहीं है। निदेशित किया गया कि एक सप्ताह के अंदर उक्त भवन को क्रियाशील करें। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिस-जिस प्रखण्ड में पंचायत सरकार भवन बन कर तैयार है, वहां के मुखिया से सम्पर्क स्थापित कर उद्घाटन की तिथि निर्धारित कर लें तथा उद्घाटन करने के पश्चात् संबंधित मुखिया का कार्यालय उसी पंचायत सरकार भवन में हर-हाल में प्रारंभ करावें, ताकि सभी प्रकार के सरकारी पत्र आदि उसे ससमय उपलब्ध कराया जा सके।
5.	(पशुपालन) जिला पशुपालन पदा0	**पशुपालन** :- समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि आलमनगर, चौसा एवं पुरैनी में बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर चिकित्सकों की उपस्थिति नहीं होने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है। जिलाधिकारी द्वारा जिला पशुपालन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि मुरौत में जो कैम्प चल रहा है, उसे पशु औषधालय केन्द्र, रतवारा में शिफ्ट करें तथा सभी चिकित्सकों एवं आवश्यक सामग्री रतवारा में ही उपलब्ध रखें। जिलाधिकारी द्वारा पृच्छा की गयी कि मधेपुरा जिला के बाढ़ प्रभावित प्रखण्ड यथा- आलमनगर, चौसा एवं पुरैनी प्रखण्डान्तर्गत पशुओं में **HS-BQ** बीमारी बड़ी

		संख्या में फैलने के कारण 25 पशुओं की मौत सिर्फ आलमनगर प्रखण्ड में होने संबंधी जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसके आलोक में तत्काल टीकाकरण कराने हेतु विभाग से अनुरोध किया गया था, के संदर्भ में क्या कार्रवाई की गयी है? जिला पशुपालन पदा0 द्वारा बताया गया कि इस संबंध में विभाग द्वारा कोई निर्देश अभी तक नहीं दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा उसी समय दूरभाष पर निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना से वार्ता की गयी एवं जिला पशुपालन पदा0, मधेपुरा को आज दिनांक 25-07-2016 को पटना भेजकर एच0एस0-बी0क्यू0 का टीकाकरण प्राप्त कर दिनांक 27-07-2016 से टीकाकरण प्रारंभ करवाने का निदेश दिया गया। **पशु चारा** :- समीक्षा के क्रम में बताया गया कि चौसा, पुरैनी एवं आलमनगर में बाढ़ के मद्देनजर पशु चारा की आवश्यकता बतायी गयी है। जिला पशुपालन पदा0 को निदेश दिया गया कि कहां-कहां पशुचारा की आवश्यकता है, अपने स्तर से निरीक्षण कर लें तथा सूची प्राप्त कर, उसी के अनुरूप अविलम्ब चारा नियमानुसार उपलब्ध करावें।
6.	(पी0एच0ई0डी0) कार्य0अभि0, पी0एच0ई0डी0	जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0 से पृच्छा की गयी कि चौसा, पुरैनी एवं आलमनगर में बाढ़ आश्रय स्थल पर चापाकल अभी तक क्यों नहीं लगाया गया है, तो इस संबंध में बताया गया कि आलमनगर में लगाने हेतु आज ही सूची उपलब्ध करायी गयी है, जबकि अन्य जगहों पर लगाया जा रहा है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि एक आदेश पत्र निर्गत करें कि आलमनगर, चौसा एवं पुरैनी के घर-घर को निरीक्षण संबंधित प्रखण्ड के कनीय /सहायक अभियंता करेंगे कि कहां-कहां चापाकल नहीं हैं।
7.	(शिक्षा) जिला शिक्षा पदा0	समीक्षा के क्रम में जिला कार्यक्रम पदा0, सर्वशिक्षा द्वारा बताया गया कि रामजी कन्या विद्यालय का मामला लंबित है, जिसमें जमीन का रजिस्ट्रेशन पूर्व में ही बिहार सरकार के नाम से किया हुआ है। जमीन दाता के द्वारा मात्र 3 कट्ठा जमीन ही दिया गया है, जबकि विभाग द्वारा निदेशित है कि 5 कट्ठा जमीन देने पर ही जमीन दाता के नाम पर विद्यालय का नाम रखा जाए। जिलाधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम पदा0, सर्वशिक्षा को जमीन दाता के नाम पर नियमानुसार विद्यालय का नाम रखवाने एवं विद्यालय भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करवाने का निदेश दिया गया। .
8.	(कब्रिस्तान घेराबंदी) सभी अंचलाधिकारी /जिला योजना पदा0	**सिंहेश्वर** :- समीक्षा के क्रम में अंचलाधिकारी, सिंहेश्वर द्वारा बताया गया कि 4 कब्रिस्तान घेराबंदी से संबंधित मामला है। अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि उक्त जमीन का खाता, खेसरा एवं रकवा के साथ प्रस्ताव पर संबंधित थानाध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी का संयुक्त हस्ताक्षर कर सूची अविलम्ब उपलब्ध करावें। **आलमनगर** :- बताया गया कि वांछित सूची श्री मनीष कुमार, कनीय अभियंता को हस्तगत करा दिया गया है। **घैलाढ़** :- बताया गया कि घैलाढ़ में एक मामला कब्रिस्तान घेराबंदी का है, जिस पर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।

		मधेपुरा :- बताया गया कि एक मामला है, जो खतियानी जमीन से संबंधित है। निदेश दिया गया कि जांच-पड़ताल कर संबंधित थानाध्यक्ष का हस्ताक्षर कर सूची अविलम्ब समर्पित करें। **कुमारखंड** :- बताया गया कि 02 मामला है, जिसमें एक सरकारी एवं एक निजी है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि किसी भी हालत में निजी का प्रस्ताव नहीं भेंजेंगे, सिर्फ सरकारी जमीन का ही प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए।
9.	(न्यायालय वाद) सभी अंचलाधिकारी	सभी अंचलाधिकारियों को निदेशित किया गया कि जितने भी न्यायालय वाद लंबित है, उन सभी का निपटारा हेतु अविलम्ब नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।
10.	(ग्रामीण कार्य प्र0, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज)	कार्यपालक अभि0, ग्रामीण कार्य प्र0, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज को निदेशित किया गया कि 20 पथों के पोर्ट की मरम्मति हेतु विभाग को पत्राचार किया गया था। इस संबंध में विभाग द्वारा निदेशित किया गया है कि सड़क के पोर्ट की मरम्मति जिला स्तर से किया जा सकता है। अतएव दोनों कार्य अभि0 को निदेश दिया गया कि बरसात का मौसम प्रारंभ हो गया है, फलस्वरूप सड़कों के पोर्ट की मरम्मति नियमानुसार सुनिश्चित करें। समीक्षा के क्रम में अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि शंकरपुर में रोड के किनारे नदी का पानी आ जाने के कारण कटाव हो रहा है, यदि लगभग 20 बोरा मिट्टी /बालू भरकर सड़क के किनारे डाल दिया जाए, तो कटाव को रोका जा सकता है। चूंकि दिनांक 28-07-2016 को गिद्धा पंचायत में चुनाव होना निर्धारित है, फलस्वरूप चुनाव को देखते हुए उक्त पथों की मरम्मति वांछनीय है। कार्य0अभि0, ग्रामीण कार्य प्र0, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि उक्त सड़क का स्थलीय निरीक्षण अविलम्ब नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। कार्यपालक अभियंता द्वारा यह भी बताया गया कि शंकरपुर में ही वर्ल्ड बैंक का सड़क है, जिसके एप्रोज में अतिक्रमण का मामला है। अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि कार्य0अभि0 से सम्पर्क स्थापित करें एवं उक्त दोनों कार्यो का निष्पादन अविलम्ब करना सुनिश्चित करें।
11.	(नगर परिषद्) कार्य0पदा0, नगर परिषद्, मधेपुरा	समीक्षा के क्रम में बताया गया कि शौचालय निर्माण मद में आवंटन उपलब्ध करा दिया गया है, जबकि **स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम** के तहत् अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। कार्यपालक पदा0, नगर परिषद् को निदेशित किया गया कि सर्वे का कार्य पूर्ण कराते हुए अविलम्ब शौचालय निर्माण का कार्य नियमानुसार प्रारंभ करावें। यह भी निदेश दिया गया कि नगर परिषद् अन्तर्गत जितने भी निविदा होने हैं, उसका ससमय निविदा प्रकाशन कराया जाए। साथ ही नगर क्षेत्र के खराब स्ट्रीट लाईट को अविलम्ब नियमानुसार बदलना सुनिश्चित करें।
12.	(इंदिरा आवास) सभी प्र0वि0 पदा0/ उप विकास आयुक्त	समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विभाग से पिछले 20 वर्ष में कितने लाभुकों को नया एवं पुराना इंदिरा आवास का लाभ दिया गया है, के संदर्भ में समीक्षा किये जाने का निर्देश प्राप्त है। अतएव सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पिछले 20 वर्षो में जितने भी लाभुकों को इंदिरा आवास का लाभ दिया गया है, का प्रतिवेदन तैयार कर आगामी बैठक के पूर्व उपलब्ध करायेंगे। साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष में बनाये जा रहे